मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 04–07–2012 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा संलग्न।

1. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी ने मेन प्लान्ट की भूमि अधिग्रहण की स्थिति के संबंध में बताया। कुल 203.13 एकड़ जमीन, 156.33 एकड़ न्यायालय में तथा 46.80 एकड़ भू–अर्जन पदाधिकारी के यहाँ टाइटिल संबंधी फैसले के लिए लम्बित है। कुल 100.81 एकड़ बकास्त जमीन का रैयतीकरण supplementary hearing के बावजूद भी अभीतक नहीं हुआ है। नियमानुसार शेष बकास्त जमीन का हस्तानान्तरण सरकार द्वारा नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी को किया जाना है। जिलाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अविलम्ब कार्रवाई की जानी है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार ने सुझाव दिया कि Land Acquisition Act के तहत भू–स्वामित्व के विवाद से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए LRDC को अधिसूचित किया जा सकता है। इस पर विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जानी है।

3. पटना शहर के फ्रन्चाईजी का मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5.7.2012 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है। न्यायालय के फैसले के बाद तुरत इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जानी है। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा आदि शहरों के लिए भी आवश्यक डाटा कलेक्शन शीघ्र किया जाना है ताकि जुलाई, 2012 के अन्त तक फ्रन्चाईजी हेतु निविदा आमंत्रित की जा सके। विद्युत मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा Standard Bidding Document भी जुलाई, 2012 में जारी की जाने वाली है।

4. एल.टी.सी.टी. के कुल 167 उपभोक्ताओं (132 जिनके यहाँ मीटर खराब है तथा 35 जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा है) का मीटरीकरण प्राथमिकता पर किया जाना है तथा उसे 31.07.2012 तक पूरा करने का महत्तम प्रयास किया जाना है।

5. तीन फेज एवं सिंगल फेज उपभोक्ताओं के लिए मीटरों की उपलब्धता तथा मीटरीकरण पर विशेष निगरानी रखी जानी है।

6. मीटर अधिष्ठापन के लिए जिन आठ अंचलों में एजेन्सी तय किया गया है उससे शीघ्र कार्य शुरू करवाया जाना है।

7. 33 के.वी. / 11 के.वी. सिस्टम मीटर के लिए क्रयादेश जुलाई, 2012 में जारी किया जाना है तथा उसकी आपूर्त्ति पर निगरानी रखी जानी है।

8. सिस्टम एवं कंज्यूमर मीटर क्रमिक रूप से लगाया जा रहा है। फीडरवाईज लॉस की गणना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग–अलग करने हेतु पद्धति बनायी जानी है।

9. कृषि के लिए dedicated Feeders के कार्य को प्राथमिकता दी जानी है तथा उसके लिए लक्ष्यबद्ध योजना तैयार की जानी है। पटना जिला में इसे Pilot Project के तौर पर लागू किया जाना है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संबंधित अधिकारियों की एक टीम को गुजरात एवं अन्य राज्यों में, जहाँ dedicated Feeders की व्यवस्था की जा चुकी है, भेजी जानी है।

10. Dedicated Feeders तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में एच.टी. एवं एल.टी. ratio को ज्यादा रखना तथा HVDS एवं एल.टी. केबुल का इस्तेमाल आपूर्त्ति में होने वाली हानि तथा चोरी आदि को रोकने के लिए की जानी है।

11. बोर्ड के पुनर्गठन संबंधित संलेख पर वित्तीय सहमति प्राप्त किया जाना है तथा वित्तीय सहमति के तुरत बाद विधि विभाग से भी प्रस्ताव की विधिक्षा प्राथमिकता पर कराया जाना है एवं मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्राथमिकता पर प्रस्तुत किया जाना है।

12. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पुनर्गठन के पश्चात् HR Plan दिनांक 05.03.2012 को ऊर्जा विभाग को भेजा है जिसमें विभिन्न कम्पनियों के निदेशक मंडल की नियुक्ति के संबंध में अहर्त्ताएँ आदि की चर्चा की गयी है। ऊर्जा विभाग द्वारा सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र नये निदेशकों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जानी है।

13. आर–ए.पी.डी.आर.पी. पार्ट–1 के ITIA, मेसर्स स्पैनको द्वारा पायलट टाउन फतुहा तथा पटना के कमिशनिंग का लक्ष्य अक्टूबर,2012 निर्धारित किया गया है। पटना में Consumer Indexing अबतक मात्र 45 प्रतिशत पूरा हो सका है, इसे शीघ्र पूरा किया जाना है। ITIA एजेन्सी द्वारा डाटा सेन्टर में Server,

Meter Data Acquisition System तथा GIS आदि के कार्य में शिथिलता के बारे में बताया गया। पावर फाइनान्स कॉरपोरेशन तथा विद्युत मंत्रालय को भी इस संबंध में बताया गया है। एजेन्सी पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी है।

14. राज्य में सुखाड़ की अवस्था में किसानों को सिंचाई हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विद्युत आपूर्त्ति करने के फलस्वरूप बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को हुई वित्तीय हानि के शेष राशि रू0 382.83 करोड़ की प्रतिपूर्त्ति हेतु योजना एवं विकास विभाग द्वारा कृषि विभाग को अतिरिक्त उद्व्यय की स्वीकृति दी जानी है ताकि प्रथम अनुपूरक में इसे उपबंधित किया जा सके।

15. विभिन्न विभागों के वर्ष 2012–13 के विद्युत बकाये के लिए प्रथम अनुपूरक में आवश्यक राशि (रू0 1040.71 करोड़) को उपबंधित करने के लिए बोर्ड द्वारा पत्र लिखा गया है। इस अनुमानित राशि को प्रथम अनुपूरक में वित्त विभाग द्वारा शामिल किया जाना है।

16. बिहार में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (UMPP) की स्थापना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (CEA) तथा पी.एफ.सी. की एक टीम का दौरा अगले सप्ताह संभावित है। उपर्युक्त प्रोजेक्ट के लिए कुल 2440 एकड़ भूमि एवं 120 क्यूसेक पानी की उपलब्धता आवश्यक है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा उपयुक्त अधिकारी नामित किया जाना है ताकि केन्द्र सरकार की टीम के साथ स्थल का चयन किया जा सके।

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों की समीक्षात्मक बैठक ।

दिनांक : 04/07/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	उपस्थित
2	श्री ए0 के0 सिन्हा	विकास आयुक्त	—
3	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	उपस्थित
4	श्री रविकांत	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	
5	श्री हुकुम सिंह मीणा	सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन	
6	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
7	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
8	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
9	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
10	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
11.	D. Chakrabarty	CEO, NPGCL	

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड–I) 3029 पटना, दिनांक 17/7/12

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड–I) 3029 पटना, दिनांक 17/7/12

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।